भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 699**

जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है

**सीआरएफ के तहत निधि**

699. डॉ. कडियम काव्य:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बस बेड़े में वृद्धि और मार्गों सहित सार्वजनिक परिवहन विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(ख) सीआरएफ (केन्द्रीय सड़क निधि) के अंतर्गत सड़क रखरखाव हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है तथा राज्यों का हिस्सा कितना है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड कैमरे लगाने और जागरूकता अभियान जैसे दुर्घटना रोकने के लिए क्या पहल की गई है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) बस बेड़ा (फ्लीट) वृद्धि और नए मार्गों की शुरूआत सहित सार्वजनिक परिवहन विस्तार, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने परिवहन अधिकारियों और राज्य परिवहन उपक्रमों के माध्यम से किया जाता है।

केंद्र सरकार केंद्र समर्थित पहलों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन विस्तार को सहायता प्रदान करती है। आज 25 अलग-अलग शहरों अर्थात् दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बल्लागढ़, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, कोच्चि, लखनऊ, आगरा, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर, पुणे, मेरठ, गांधीनगर, इंदौर और पटना में लगभग 1083 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइनें (दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के 55 किलोमीटर सहित) चालू हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की "पीएम-ईबीयू सेवा" 16 अगस्त 2023 को शुरू हुई थी जिसका उद्देश्य पीपीपी मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों चलाने के लिए 20,000 करोड़ केंद्रीय सहायता (सीए) से शहरी क्षेत्रों में शहरी बस संचालन को बढ़ावा देना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 3-40 लाख आबादी वाले नगर और 3 लाख से कम आबादी वाले अन्य राज्यों की राजधानियाँ इसके लिए पात्र हैं। अब तक, इन 10,000 बसों में से सरकार ने 15 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों से 9,360 ई-बसों की मांग को मंजूरी दी है, जिसमें 106 शहर शामिल हैं।

(ख) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) योजना के तहत राज्य सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निधि आवंटित करती है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) - पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआरआईएफ योजना के तहत राज्य सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए उपार्जन और धन जारी करने का विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(ग) मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दुर्घटना निवारण पहलें निम्नानुसार हैं:

i) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) के सहयोग से सभी 4 और 6 लेन की एनएच परियोजनाओं में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएम) को लागू करता है। एटीएमस को विगत में एकल (स्टैंडअलोन) काम के रूप में या सीओ के माध्यम से निष्पादित एनएच परियोजनाओं में भी लागू किया जा रहा है। एटीएमएस में सीसीटीवी/एएनपीआर कैमरों की स्थापना शामिल है जो 24x7 वीडियो फुटेज कैप्चर करते हैं और इसकी निगरानी कमांड सेंटर और टोल प्लाजा पर की जा रही है।

ii) मंत्रालय/एनएचएआई ने पूरे भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया है। सड़क प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहल की जा रही हैं: -

- राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोक्ताओं के सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर कैलेंडर वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।
- सड़क सुरक्षा जागरूकता संदेश नियमित रूप से ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं।
- सड़क सुरक्षा शिक्षा, इंटरैक्टिव कार्यक्रमों और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के साथ छात्रों और नागरिकों को लक्षित करने वाला एक राष्ट्रव्यापी अभियान।
- सुरक्षित ड्राइविंग के संदेश को बढ़ाने के लिए मशहूर हस्तियों की भागीदारी शामिल ।
- आपातकालीन कार्रवाई और ग्राहक सेवा हेतु टोल प्लाजा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र।
- वॉकथॉन का आयोजन, निबंध लेखन/पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता/नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता कार्यक्रमों के साथ सड़क सुरक्षा पर प्रदर्शनी।

- सुरक्षा सप्ताह के दौरान टोल प्लाजा, रास्ते की सुविधाओं, फूड स्टॉल बिंदुओं पर सड़क प्रयोक्ताओं को पैम्फलेट आदि का वितरण।

- फ्लेक्स बैनर के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान, कार्यशालाओं और चर्चाओं का आयोजन।

- रियर एंड टक्कर से बचने के लिए लाल लाइट या रिट्रो रिफ्लेक्टिव शीटिंग के लिए रियर साइड की जांच करना और टोल प्लाजा पर ट्रकों, ट्रैक्टर-ट्रॉली और पशु गाड़ियों आदि पर इंस्टॉल रिफ्लेक्टर/रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप इंस्टॉल करना।

- प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, चित्रकला प्रतियोगिताओं, निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से स्कूल/कॉलेज के छात्रों के लिए प्रेरणा और सड़क के किनारे सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम।

- ओवर-स्पीडिंग, अनधिकृत पार्किंग, शराब पीकर गाडी चलाना आदि की जांच के साथ ओवरलोडिंग को रोकने के लिए पुलिस विभाग की मदद से विशेष अभियान। .

- राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे ट्रक/बस चालकों के लिए स्वास्थ्य सह नेत्र जांच शिविर और नेत्र चश्मे का वितरण किया जाना।

- ट्रक चालकों की थकान की जांच करना और उन्हें सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना।

अनुलग्नक

“सीआरएफ के तहत निधि” के संबंध में डॉ. कडियम काव्य द्वारा दिनांक 04.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 699 के भाग (बी) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राशि करोड़ रूपये में

| क्र. स. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | | 2025-26 (31.10.2025 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | उपार्जन # | जारी # | उपार्जन # | रिलीज़ # | उपार्जन # | रिलीज़ # | उपार्जन # | रिलीज़ # |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 380.19 | 356.55 | 420.10 | 485.48 | 420.00 | 322.56 | 456.08 | 106.78 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 147.65 | 183.63 | 167.75 | 238.00 | 168.04 | 269.13 | 185.02 | 15.59 |
| 3 | असम | 169.64 | 122.82 | 194.65 | 223.24 | 193.55 | 222.59 | 211.69 | 127.48 |
| 4 | बिहार | 226.47 | 226.47 | 258.43 | 258.43 | 255.17 | 255.17 | 281.37 | 281.37 |
| 5 | छतीसगढ | 281.12 | 86.92 | 320.19 | 353.60 | 322.62 | 177.28 | 358.59 | 0.00 |
| 6 | गोवा | 16.26 | 0.00 | 18.47 | 48.16 | 17.79 | 29.70 | 19.56 | 0.62 |
| 7 | गुजरात | 509.31 | 249.12 | 586.35 | 73.79 | 585.01 | 680.70 | 642.03 | 271.17 |
| 8 | हरियाणा | 197.73 | 0.00 | 205.63 | 108.60 | 203.31 | 189.00 | 222.59 | 0.00 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 117.73 | 169.05 | 136.32 | 136.32 | 130.95 | 130.96 | 143.77 | 120.63 |
| 10 | झारखंड | 184.96 | 81.56 | 207.57 | 192.64 | 208.51 | 251.61 | 231.56 | 102.33 |
| 11 | कर्नाटक | 513.13 | 465.27 | 608.06 | 660.91 | 608.81 | 453.85 | 661.87 | 479.24 |
| 12 | केरल | 147.19 | 133.46 | 171.14 | 186.37 | 166.06 | 166.06 | 181.31 | 152.13 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 632.99 | 573.96 | 719.10 | 778.13 | 721.61 | 682.14 | 796.71 | 725.82 |
| 14 | महाराष्ट्र | 783.19 | 1,084.15 | 886.63 | 886.63 | 891.52 | 891.52 | 987.55 | 828.61 |
| 15 | मणिपुर | 42.10 | 13.81 | 48.37 | 146.98 | 46.87 | 15.19 | 51.89 | 16.50 |
| 16 | मेघालय | 47.51 | 43.08 | 54.83 | 78.42 | 55.37 | 61.55 | 60.13 | 50.45 |
| 17 | मिजोरम | 38.20 | 10.96 | 43.62 | 35.60 | 43.86 | 55.45 | 48.70 | 0.00 |
| 18 | नागालैंड | 31.31 | 28.39 | 35.54 | 46.09 | 35.79 | 32.09 | 39.35 | 33.02 |
| 19 | उड़ीसा | 340.95 | 313.52 | 387.41 | 423.41 | 392.13 | 392.13 | 432.27 | |
| 20 | पंजाब | 176.96 | 106.84 | 195.33 | 72.04 | 195.97 | 174.52 | 210.67 | 0.00 |
| 21 | राजस्थान | 715.82 | 906.62 | 812.41 | 745.90 | 816.17 | 1120.67 | 901.81 | 846.43 |
| 22 | सिक्किम | 14.09 | 17.04 | 16.27 | 28.04 | 16.18 | 21.72 | 17.67 | 0.00 |
| 23 | तमिलनाडु | 402.67 | 377.63 | 457.11 | 486.15 | 457.75 | 425.76 | 500.94 | 434.48 |
| 24 | तेलंगाना | 304.27 | 275.89 | 335.09 | 366.38 | 335.58 | 335.59 | 367.17 | 344.49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | त्रिपुरा | 21.23 | 19.42 | 23.94 | 25.92 | 24.01 | 23.94 | 26.52 | 13.91 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 702.42 | 658.75 | 777.40 | 821.07 | 777.88 | 784.51 | 861.57 | 861.57 |
| 27 | उत्तराखंड | 114.01 | 378.17 | 129.83 | 140.46 | 129.95 | 55.07 | 143.20 | 120.15 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 240.31 | 217.90 | 275.67 | 298.08 | 272.75 | 272.75 | 299.40 | 0.00 |
| 29 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 17.49 | 151.63 | 19.75 | 68.20 | 19.75 | 16.68 | 21.73 | 0.00 |
| 30 | चंडीगढ़ | 6.55 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 8.14 | 0.00 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली | 5.74 | 0.41 | 6.50 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 7.14 | 0.00 |
| 32 | दमन और दीव | | | | | | | | |
| 33 | दिल्ली | 32.06 | 0.00 | 36.31 | | 36.31 | 0.00 | 39.94 | 0.00 |
| 34 | जम्मू और कश्मीर | 113.61 | 343.61 | 128.67 | 206.67 | 128.67 | 128.67 | 141.54 | 118.74 |
| 35 | लद्दाख | 289.06 | 83.44 | 326.41 | 68.10 | 326.41 | | 359.05 | 0.00 |
| 36 | पुद्दुचेरी | 10.39 | 7.83 | 11.76 | 9.94 | 11.76 | 9.94 | 12.94 | 0.00 |

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पिछले वर्षों के अव्ययित शेष से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उपार्जन से अधिक धनराशि जारी की गई है।

# सीआरआईएफ योजना के तहत सेतु बंधन के तहत राज्य सड़कों पर आरओबी/आरयूबी/पुलों के निर्माण के लिए आवंटित/जारी की गई धनराशि सहित

****